



सम्बद्ध - भारतीय मजदूर संघ

प्रदेश कार्यालय : सीडी- 241 सेक्टर 3 धुर्वा, राँची, झारखंड 834004
सम्पर्क सूत्र : 7321936195, 7979889767 ईमेल : tiwarineeraj629@gmail.com

निबंधन संख्या - 363/2025

पत्रांक: JPAKS/BMS/2025/10

दिनांक: 01/12/2025...

सेवा में,

ब्यूरो प्रमुख महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड सरकार,
सूचना भवन परिसर, कांके रोड,
राँची - 834008

विषय : 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन सम्मान फाउंडेशन संस्था के जिला प्रबंधकों तथा राँची एवं पटना कार्यालय के उच्च पदाधिकारियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली (घूस), भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितताओं और कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में उच्चस्तरीय जाँच कर कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु विनम्र निवेदन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि झारखंड राज्य में संचालित 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, जिसे वर्तमान में फरवरी माह - 2025 से सम्मान फाउंडेशन संस्था, पता - मुख्य कार्यालय - 2/30 SBI Colony, Khazpura, Near Jagdeopath, Bailey Road, Patna - 800014 तथा राँची शाखा कार्यालय - आयुष भवन, डोरंडा, राँची - 834002, द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा अत्यंत गंभीर आरोप जैसे - अवैध वसूली (घूस), भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों के निरंतर मानसिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें राज्य के विभिन्न जिलों से लगातार प्राप्त हो रही हैं। कर्मचारियों के द्वारा संगठन को साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है।

भ्रष्टाचार के साक्ष्यों के आधार पर निम्न बिंदु अत्यंत चिंताजनक एवं जाँच का विषय हैं, क्योंकि संस्था के अधिकारियों द्वारा खुलेआम दबंगई, अत्याचार एवं शोषण के कारण कर्मचारी सुसाइड (आत्महत्या) करने जैसे कदम उठाने को लेकर मामला संगठन को प्राप्त हुआ है।

1. जिला प्रबंधकों (ACO) द्वारा अवैध पैसों की वसूली तथा उच्च पदाधिकारियों की संलिप्तता, अनेक जिलों में यह तथ्य सामने आया है कि - कर्मचारियों को बिना कारण ड्यूटी से हटाकर पुनः बहाली हेतु घूस ली जा रहा है।

जबकि कई जिला प्रबंधकों ने स्वीकार किया है कि वसूली गई राशि का हिस्सा राँची एवं पटना कार्यालय के पदाधिकारियों को भेजाना पड़ता है।

यह स्थिति स्पष्ट संकेत करती है कि भ्रष्टाचार केवल जिला स्तर के अधिकारियों तक सीमित न होकर, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हुए उच्चस्तरीय पदाधिकारियों की संलिप्तता के साथ संगठित रूप से संचालन किया जा रहा है।

2. संस्था द्वारा अपने ही लिखित आश्वासन का उल्लंघन कर पूर्व के भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा में पुनः शामिल किया गया,

फरवरी माह में सेवा संचालन प्रारंभ के समय संगठन द्वारा संस्था को लिखित रूप से सूचित किया गया था कि पूर्व में भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को वर्तमान सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।

संस्था ने इसे लिखित रूप से स्वीकार किया था। किन्तु इसके विपरीत संस्था ने अपने लिखित आश्वासन का उल्लंघन करते हुए निम्न भ्रष्ट अधिकारियों को पुनः नियुक्त कर लिया।

1. संजय दसवंधी 2. राजेश कुमार 3. जुबेर आलम 4. अजय कुमार सिंह

जबकि इन अधिकारियों पर पूर्व से तथा वर्तमान में भी किए जा रहे - अवैध पैसों कि वसूली, फर्जी उपस्थिति, EMT/ Pilot कि प्रमोशन का प्रलोभन देकर घुस लेना, ड्यूटी दिलाने के नाम पर घुस लेना, कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न, खराब व महीनों से खड़ा एम्बुलेंस पर फर्जी केस-ट्रिप दिखाना, डीज़ल एवं मेटेनैस में अनियमितताएँ - जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं।

रांची कार्यालय पदाधिकारी - सुमित बासु, धनबाद जिला प्रबंधक - संजय दसवंधी एवं तोषीफ आलम, गोड्डा जिला प्रबंधक - एम०डी० जुबेर आलम, चतरा जिला प्रबंधक - राजकुमार, मेटेनैस मैनेजर - राजेश कुमार, पलामू जिला प्रबंधक - अजय कुमार सिंह, गढ़वा जिला के पूर्व जिला प्रबंधक - एमडी शमशाद आलम

इन अधिकारियों द्वारा उपरोक्त अनियमितताएँ व अवैध पैसों कि वसूली निरंतर जारी रखने के कई साक्ष्य उपलब्ध हैं।

3. नए EMT एवं पायलट की बहाली/नियुक्ति के नाम पर ₹60,000 से ₹1,00,000 तक की अवैध वसूली - पटना एवं रांची कार्यालय के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा सम्मिलित रूप लिया जा रहा है।

4. उच्च पदाधिकारियों द्वारा कार्यालय के लिए अधिकारियों नियुक्ति हेतु 100000 से 300000 रुपए तक कि अवैध पैसों कि वसूली कि जाती है।

5. वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को जिला प्रबंधकों द्वारा मानसिक उत्पीड़न कर जबरन पैसों की मांग करना - यह बोल जा रहा है कि ड्यूटी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा न देने पर ड्यूटी से हटाना, निलंबन की धमकी, लोकेशन/जिला ट्रांसफर करना तथा नौकरी समाप्त करने की धमकी देते हुए जिला प्रबंधक व कार्यालय पदाधिकारियों का इन सभी बातों सामान्य सी हो गई है।

6. कर्मचारियों द्वारा अनेक बार रांची कार्यालय में शिकायत करने पर कार्रवाई न करना और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना - कार्यालय द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों कि जांच नहीं की गई तथा किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण कर्मचारियों में काफी भय, असुरक्षा तथा नौकरी खोने की हमेशा डर व चिंता बनी रहती है।

अतः महोदय से निवेदन है कि -

(1) एक उच्चस्तरीय जाँच समिति गठित की जाए - जो जिला स्तर, रांची कार्यालय तथा पटना कार्यालय सभी स्तरों की निष्पक्ष व विस्तृत जांच सुनिश्चित करे।

(2) उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस पत्र के साथ - ऑडियो, वीडियो (रिकॉर्डिंग), व्हाट्सएप चैट, फोन पे स्क्रीनशॉट, भ्रष्ट अधिकारियों के संबंध में पूर्व में संस्था को दिया गया संघ का पत्र, बाहरी लोग कि उपस्थिति शीट, तथा संस्था द्वारा संघ को दिया गया लिखित आश्वासन, भी संलग्न हैं तथा आवश्यकता पढ़ने पर और प्रमाण दिया जाएगा।

महोदय,

हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके हस्तक्षेप से 108 एम्बुलेंस सेवा को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाया जा सकेगा तथा ईमानदार कर्मचारियों का मनोबल बहाल होगा।

अन्यथा,

झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ (संबद्ध – भारतीय मजदूर संघ) जनहित एवं कर्मचारी अधिकारों की रक्षा हेतु राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

महोदय, संगठन का उद्देश्य विरोध करना नहीं, बल्कि सेवा को सुचारू, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार - मुक्त बनाना है।

भवदीय



प्रदेश अध्यक्ष

नीरज तिवारी

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल महोदय, झारखंड राजभवन, रांची – 834001
2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
3. माननीय श्रम मंत्री महोदय, श्रम विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
4. माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
5. मुख्य सचिव महोदय, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
6. अपर मुख्य सचिव महोदय, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, रांची – 834004
7. सचिव/ प्रधान सचिव महोदय, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
8. सचिव महोदय, श्रम विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
9. सचिव महोदय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
10. सचिव महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004
11. माननीय लोकायुक्त महोदय, लोकायुक्त कार्यालय, बूटी रोड, रांची – 834008
12. पुलिस महानिदेशक (DGP), झारखंड पुलिस, धुर्वा, रांची – 834004
13. महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), झारखंड पुलिस मुख्यालय, धुर्वा, रांची – 834004
14. अभियान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), झारखंड, रांची – 834001
15. श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त/ श्रमधीक्षक महोदय, श्रम विभाग, झारखंड सरकार, रांची – 834002
16. सभी उपायुक्त महोदय, सभी जिला झारखंड।
17. सभी पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी जिला झारखंड।
18. प्रदेश महामंत्री/अध्यक्ष महोदय, भारतीय मजदूर संघ, सीडी - 241 सेक्टर - 3 धुर्वा, राँची, झारखंड 834004